भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-272

दिनांक 02 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

आंध्र प्रदेश में जनजातीय और एजेंसी क्षेत्रों में डेयरी किसान

272. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उचित संग्रह केंद्रों और खरीद प्रणालियों में पारदर्शिता की कमी के कारण जनजातीय और एजेंसी क्षेत्रों में दूध की कम खरीद दर (लगभग 45 रुपये प्रति लीटर) के द्वारा डेयरी किसानों का शोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के आदिवासी और एजेंसी क्षेत्रों में केंद्र सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा संचालित किए जा रहे दूध संग्रह केंद्रों की संख्या कितनी है और डेयरी किसानों के लिए उचित मूल्य-निर्धारण और विकास को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) दूध की कीमतें सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा उनकी उत्पादन लागत और बाजार की ताकतों के आधार पर तय की जाती हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) राज्य दुग्ध परिसंघ और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके नियमित रूप से देश में दूध की स्थिति पर नज़र रखता है, ताकि किसानों को सही कीमत मिले और उपभोक्ता को किफायती मूल्य पर दूध उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश डेयरी विकास सहकारी परिसंघ लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश के 12 जिलों में कुल 137 जनजाति मंडल फैले हुए हैं, जिनमें से 121 मंडलों के 1,118 गांव जनजाति और एजेंसी क्षेत्रों में दुग्ध संग्रहण केंद्र स्थापित करने और उनका उन्नयन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत कवर किए जाते हैं। डेयरी किसानों को उनसे लिए गए दूध की गुणवत्ता के अनुसार सबसे अच्छी कीमत दिलाने के लिए खरीद चैनल और बाजार लिंकेज को विस्तारित किया गया है। वर्तमान में, डेयरी किसानों को अदा की जाने वाली भैंस के दूध की कीमत 45.65 रुपये से 83.00 रुपये प्रति लीटर और गाय के दूध की कीमत 34.50 रुपये से 41.75 रुपये प्रति लीटर है।

******